(अपलोड करने हेतु)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड पंचम सि.क्षे.वि. श्रीकरणपुर

क्रमांक 1295–1314 दिनांक : 30.08.2017

ई–निविदा सूचना संख्या 03 वर्ष 2017–18

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये सक्षम श्रेणी में पंजीकृत फर्मो/सवेंदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरींग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है।

निम्नलिखित चकों में पक्के खालों का निर्माण कार्य (गंग कैनाल सिस्टम) विभागीय डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन के अनुसार (समस्त निर्माण सामग्री ठेकेदार की स्वयं की होगी।

क्र.सं.	निम्न चकों में पक्का खाला निर्माण कार्य	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि		ई–टेण्डरींग प्रक्रिया शुल्क	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
			2%	1/2 %			
1	Chak- 6FFB	25.75	51500	12875	500	1000	5 माह
2	Chak- 9 FFB	25.75	51500	12875	500	1000	5 माह
3	Chak- 10 H	36.40	72800	18200	500	1000	5 माह
4	Chak- 36 H	23.30	46600	11650	500	1000	5 माह
5	Chak- 34 GG-I	21.35	42700	10675	500	1000	5 माह

1. निविदा प्रपत्रों को बेबसाईट http//www.eproc.rajasthan.gov.in. से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलैक्ट्रोनिक फारमेट में बेबसाईट http//www.eproc.rajasthan.gov.in. पर जमा करायें। यह निविदा बेबसाईट http//www.deproline.org तथा विभागीय बेबसाईट http//www.cad.rajasthan. gov.in. & http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
2. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 12.09.2017 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 03.10.2017 सांय 6.00 बजे तक होगी।
3. (अ) निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट वेबसाइट http//www.eproc. rajasthan.gov.in. पर दिनांक 12.09.2017 प्रातः 10.00 बजे से 03.10.2017 सांय 6.00 बजे तक जमा/अपलॉड कराये जा सकते है एवं प्राप्त तकनीकी निविदाएं इलैक्ट्रेनिक फारमेट में वेबसाईट http//www.eproc. rajasthan.gov.in. पर दिनांक 05.10.2017 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवंश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।

   (ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।

   (स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि सारी निविदाऐं नहीं खोली जा सकती है तो इसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।

   (द) उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 में दर्शायी गई धरोहर राशि अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में भुगतान योग्य बैंकर चैंक/डीडी दिनांक 04.10.2017 सायं समय 6:00 बजे तक जमा करवानी होगी।
4. कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।

लगातार.....2

5. कार्यों से संबन्धित निविदा प्रपत्र ई–निविदा सूचना के प्रकाशन दिनांक से 03.10.2017 तक 10.00 बजे से 6.00 बजे तक देखा जा सकता है।

6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशी डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दिनांक 04.10.2017 को सांय 6.00 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है।

7 यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से संबंधित वृत अथवा खण्ड में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

8. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृति के दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवा लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।

9. निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में इस कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करवाना आवश्यक है।

10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

11. आर.पी.डब्ल्यू. ए–100 की समस्त शर्ते मान्य होगी।

12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यो के लिए निर्धारित मशीनरी एवं साज समान जो निविदा की स्पेशल कन्डीशन में वर्णित है को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।

13. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मलित है।

14 कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिट पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात् एक पूरी वर्षा की समाप्ति या कार्य पूर्ण करने की अवधि की तिथि के 6 मास पश्चात् तक जो भी पश्चातवर्ती हो तक रहेगा।

15. निविदा खोलने की दिनांक से निविदा स्वीकृत हेतु मान्य अवधि तक यदि निविदादाता अपनी निविदा में कोई संशोधन करता है अथवा निविदा वापिस लेता है तो उसकी धरोहर राशी जब्त कर ली जावेगी।

16. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ–1 एफ.डी./जीएफएण्डआर/2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार रू. 1000/– एव 500/– रूपये की राशि अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में देय होंगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए तथा निविदा शुल्क के साथ जमा करवाया जाना है।

17. ई–टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश

(अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

(ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टीफिकेट इनफोरमेशन टैकनोलोजी एक्त–2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलैक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टीफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टीफिकेट है, नया डिजिटल सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

लगातार.....3

(स) निविदादाताओं का निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।

(द) ऑनलाइन निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम सं. 3 के अनुसार खोली जायेगी।

(य) इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें की निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर के साथ स्कैन करते हुये दस्तावेजों को दिनांक 04.10.2017 शाम 6:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करवावें।

(र) कोई भी टैण्डर इलैक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग नहीं होगा।

(ल) टेण्डर के प्रपत्रो में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।

18. संविदाकर्ता/ठेकेदार द्वारा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियो एवं सेवा शर्ते विनि) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजियन करवाना होगा तथा श्रमिकों का उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय हित लाभ व सुविधाए उपलब्ध करवाई जावेंगी। निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर अधिनियम के अन्तर्गत काटा जायेगा।

19. निर्माण कार्यों में मसाला मिलाने के लिये मिक्सर का प्रयोग करना होगा।

20. निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे ईन्ट, बजरी, सिमेन्ट इत्यादि के टेस्ट रिजल्ट सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ही उपयोग में लेना होगा।

21. शर्त युक्त निविदा मान्य नहीं होगी।

अधिशाषी अभियन्ता
गंगनहर ओ0एफ0डी0 खण्ड पंचम
सि0क्षे0वि0 श्रीकरणपुर।

क्रमांक 1295–1314 दिनांक : 30.08.2017

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है :–

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, सी.ए.डी. (पश्चिम) बीकानेर।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सिं.क्षे.वि. ओ.एफ.डी. वृत इ.गा.न.प. बीकानेर।
3. श्रीमान् नोडल ऑफिसर (वेबसाईट) एवं अधि. अभि. व तकनिकी सहायक आयुक्त सिंक्षेवि, बीकानेर को मय सीडी विभागीय वेबसाईट पर अपलॉड करने हेतु।
4 अधिशाषी अभियन्ता खण्ड– सिं.क्षे.वि.
5. सहायक अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी. उपखण्ड 16/17/18/19 सिं.क्षे.वि. श्रीकरणपुर।
6. कान्ट्रेक्टर एसोसिएशन, बीकानेर/श्रीगंगानगर
7. वरिष्ठ प्रारूपकार/खण्डीय लेखाकार/कैशियर, खण्डीय कार्यालय।
8. नोटिस बोर्ड।

अधिशाषी अभियन्ता
गंगनहर ओ0एफ0डी0 खण्ड पंचम
सि0क्षे0वि0 श्रीकरणपुर।